कार्यालय जिलाधिकारी, सम्भल (बहजोई)।

पत्रांकः 562/डी0एल0आर0सी0/2021–22 दिनांक 16/11/2021

::सार्वजनिक–सूचना::

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा), लखनऊ द्वारा संचालित गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु जनपद सम्भल की तहसील सम्भल व तहसील चन्दौसी ग्रामों की भूमि का अर्जन किया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से पूर्व "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम–2013" एवं तत्सम्बन्धी नियमावली–"भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (उत्तर प्रदेश) नियमावली 2016" के प्रावधानों के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिर्पोट (Social Impact Assessment Report) व सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना को इस हेतु नामित एजेन्सी– S.R. Asia 4-Cs-25,Ansal Plaza, Vaishali Ghaziabad 201010 U.P. द्वारा तैयार किया गया है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार(उ0प्र0) नियमावली 2016 के नियम–7 के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट (Social Impact Assessment Report) व सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना पर अधिकारियों द्वारा, निम्नांकित दिये गये स्थान, दिनांक व समय के अनुसार लोक–सुनवाई की जानी है।

क्र. सं.	लोक–सुनवाई हेतु नामित अधिकारी नाम/पदनाम/मो0नं0	ग्राम का नाम	लोक–सुनवाई का स्थान	दिनांक	समय
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	श्री रमेश बाबू, उपजिलाधिकारी, सम्भल मो0– 9454416871	1– ततारपुर संदल, 2– ईसापुर सुनवारी, 3– कसेरूआ 4– भटौला	प्रा0 स्कूल, ईसापुर सुनवारी	25.11.2021	11:00 पूर्वान्ह
		1–खिरनी मुहीउद्दीनपुर, 2–बसला	जू0 हा0 स्कूल, खिरनी मुहीउद्दीनपुर	25.11.2021	02:00 अपराहन
		1– रसूलपुर धतरा	प्रा0 स्कूल, रसूलपुर धतरा	26.11.2021	11:00 पूर्वान्ह
		1–बिचपुरी 2–बंजरपुरी 3–चिरौली भगवंतपुर	प्रा0 स्कूल, बंजरपुरी	26.11.2021	02:00 अपराहन
2	श्री राजपाल सिंह उपजिलाधिकारी, चन्दौसी मो0 नं0 9454416870	1–मिर्जापुर अख्तरा 2–राजपुर 3–लहरावन 4– रायपुर कलां	प्रा0 स्कूल, राजपुर	25.11.2021	11:00 पूर्वान्ह
		1–फतेहपुर शमसोई 2–किरारी	प्रा0 हा0 स्कूल, फतेहपुर शमसोई	25.11.2021	02:00 अपराहन
		1–ढाढौल 2–विसारू 3–अचलपुर	जू0 हा0 स्कूल, ढाढौल	26.11.2021	11:00 पूर्वान्ह
		1–बल्लमपुर 2–अतरासी 3–मझौला 4–धर्मपुर निकट ढाढौल	प्रा0 स्कूल, बल्लमपुर	26.11.2021	02:00 अपराहन

अतः अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित ग्रामों में स्थित भूमि के सम्बन्ध में सामाजिक समाघात आंकलन रिपोर्ट (Social Impact Assessment Report) व सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना, जनपद की बेवसाइट sambhal.nic.in पर अपलोड है, व कार्यालय जिलाधिकारी, सम्भल (बहजोई) एवं उप जिलाधिकारी कार्यालय सम्भल व चन्दौसी में उपलब्ध है, का अवलोकन कर लें और यदि उक्त सामाजिक समाघात आंकलन रिपोर्ट (Social Impact

Assessment Report) व सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना पर उन्हें यदि कोई आपत्ति/सुझाव है, तो वह अपनी आपत्ति/सुझाव उपरोक्तानुसार नियत दिनांक/समय व स्थान पर उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं।

भवदीय

(संजीव रंजन)
जिलाधिकारी,
सम्भल।

संख्या व दिनांकः– उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपिः–

1– मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औधोगिक विकास प्राधिकरण लखनऊ की सेवा में इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उपरोक्तानुसार लोक–सुनवाई हेतु निर्धारित तिथियों पर यूपीडा के अधिकारियों की टीम गठित करते हुए लोक–सुनवाई में प्रतिभाग करने हेतु नामित करने का कष्ट करें।

2– निदेशक, S.R. Asia 4-Cs-25,Ansal Plaza, Vaishali Ghaziabad 201010 U.P. को इस आशय से प्रेषित है कि सामाजिक समाघात आंकलन रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना तैयार करने वाली टीम को उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथियों पर उपस्थित रहकर प्राप्त होने वाली आपत्तियों/सुझावों के संबंध में अग्रिम कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

3– उप जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी (न्यायिक), तहसीलदार, सम्भल/चन्दौसी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उपरोक्त लोक–सुनवाई हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार कराने यथा लोक–सुनवाई की सूचना तहसील/विकास खण्ड /ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड/सार्वजनिक दृष्टव्य स्थान पर चस्पों कराने आदि के साथ–साथ आवश्यक सुनवाई करने का कष्ट करें।

4– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सम्भल को सामाजिक समाघात आंकलन रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना प्रति सहित इस आशय से प्रेषित है कि इसे जनपद की बेवसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

5– जिला सूचना अधिकारी, सम्भल को इस आशय से प्रेषित है कि दो दैनिक समाचार पत्रों (1–दैनिक जागरण 2–अमर उजाला) में न्यूनतम एवं पठनीय स्पेस में शासकीय दरों पर प्रकाशित कराकर बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।

6– नाजिर सदर, कलेक्ट्रेट सम्भल को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुसार लोक–सुनवाई सम्बन्धी सूचना को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करायें।

Sanjay

जिलाधिकारी,
सम्भल।